पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 27, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–51

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	675–686	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	807–940	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन-सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	425–426	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

18 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 12/नो0ए0/XXXVI-A-1/2021–02 नो0ए0/2010–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री वीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 18–11–2021 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय देहरादून में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री वीरेन्द्र सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 12/No-A/XXXVI-A-1/2021-02 No.-A/2010** dated November 18, 2021.

NOTIFICATION

Appointment

November 18, 2021

No. 12/No-A/XXXVI-A-1/2021-02 No.-A/2010–In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Virender Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 18-11-2021 for District Headquater Dehradun and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Virender Singh be entered in the register on Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAJENDRA SINGH,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 869/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Merit wise) चयनित अभ्यर्थी **डॉ0 रेनू खानचन्दानी को फार्माकोलॉजी विभाग के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर** के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 'क' वेतन ₹ 1,31,100–2,16,600 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से **राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून** में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–152/2020 विकास सिकरवार बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य, रिट याचिका संख्या–106/2020 डॉ0 देश दीपक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–418/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–108/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 870/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Merit wise) चयनित अभ्यर्थी **डॉ0 पूनम कुमारी को फिजियोलॉजी विभाग के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर** के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 'क' वेतन ₹ 1,31,100–2,16,600 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से **राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी** में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–152/2020 विकास सिकरवार बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य, रिट याचिका संख्या–106/2020 डॉ0 देश दीपक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–418/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–108/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

अधिसूचना

नियुक्ति

10 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 871/XXVIII(5)/2021–08(मे0का0)/2019–उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 में निहित प्राविधानों के अधीन प्रतीक्षा सूची में प्रवीणता के आधार पर (Merit wise) चयनित अभ्यर्थी **डॉ0 गणेश सिंह धर्मशक्तु को आर्थोपेडिक्स विभाग के अन्तर्गत एसोसिएट प्रोफेसर** के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल–13 'क' वेतन ₹ 1,31,100–2,16,600 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी** में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य के समक्ष अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगें। योगदान दिये जाने के पश्चात अभ्यर्थी के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा कराया जायेगा।

(2) उक्त चयनित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा किया जायेगा। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चयनित अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की जॉच भी सम्बन्धित शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित की जाय। अभ्यर्थी की सत्यापन संबंधी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी एवं इसकी सूचना तत्काल शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की जायेगी।

(3) अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सक्षम चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होंगें। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के प्रकरण शासन को संदर्भित किये जायेंगें।

(4) उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(5) नवनियुक्त अभ्यर्थी 02 सप्ताह के भीतर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु योगदान कर दें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से संबधित वांछित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपने योगदान स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।

(7) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण से पूर्व सम्बन्धित प्राचार्य के समक्ष निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

i. स्वयं के विरूद्ध अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

ii. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा निर्गत स्थाई पंजीकरण की दो प्रतियां।

iii. ओथ एलीजियन्स का प्रमाण–पत्र।

iv. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

v. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

vi. लिखित रूप से एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नही होंगे।

vii. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

viii. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

ix. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण।

2– चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड, चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

3– चयनित पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4– सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा यह देख लिया जाए की अभ्यर्थी उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत है तथा उनके मेडिकल काउन्सिल प्रमाण–पत्र एवं स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के प्रमाण–पत्र का मूल रूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उपलब्ध कराया जाय।

5– यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–152 /2020 विकास सिकरवार बनाम प्रमुख सचिव एवं अन्य, रिट याचिका संख्या–106/2020 डॉ0 देश दीपक बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या–418/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या–108/2020 डॉ0 शेखर पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

6– चयनित अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली–2014 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत राज्य के अन्य मेडिकल कालेजों में स्थानान्तरणीय होंगी।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

सहकारिता, गन्ना, चीनी अनुभाग–1

आदेश/पदोनति

24 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 850/XIV–1/21–3(13)/2021–सहकारिता विभाग में उप निबन्धक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्रीमती ईरा उप्रेती को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड (वेतनमान ₹ 78800–209200 पे मेट्रिक्स लेवल–12) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्रीमती ईरा उप्रेती को संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

2. श्रीमती ईरा उप्रेती, संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड की तैनाती निबन्धक, सहकारी समितियां (मुख्यालय) उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय में की जाती है।

आज्ञा से,

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2021 ई0

संख्या 762/XXVIII–2–2021–62/2010–औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 23 वर्ष 1940) की धारा 21 सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम–50 के अन्तर्गत श्री हेमन्त सिंह नेगी, सहायक औषधि नियंत्रक जो उक्त नियमावली के नियम–50–क में विहित अर्हता रखते हैं, को अग्रिम आदेशों तक सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य हेतु उनके पदीय कर्तव्यों के अतिरिक्त नियंत्रक प्राधिकारी (Controlling Authority) के रूप में नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री हेमन्त सिंह नेगी को नियंत्रक प्राधिकारी (Controlling Authority) के रूप में नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के तहत नियुक्त किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते आदि देय नहीं होंगे।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त अधिसूचनाओं/आदेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4. श्री राज्यपाल, यह भी घोषणा करते हैं कि श्री हेमन्त सिंह नेगी का औषधि अथवा प्रसाधन सामग्री के आयात, विनिर्माण अथवा बिक्री में कोई वित्तीय हित समाहित नहीं है और एतद्द्वारा नियुक्त प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1860) की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोक सेवक समझे जायेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1374/XIII-I/2021–03(14)2021–उत्तराखण्ड राज्य की विशेष भौगोलिक स्वरूप के दृष्टिगत राज्य में कृषि विकास को गति देने, कृषकों को कृषि से सम्बन्धित सभी प्रकार के वैज्ञानिक/तकनीकी जानकारियों एवं सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए उनकी समस्याओं/जिज्ञासाओं का समाधान उसी स्थान पर सुनिश्चित करने, कृषि में पर्याप्त विविधता, उत्पादन एवं उत्पादकता में उपलब्ध अन्तर को कम करने, उपलब्ध मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 देहरादून 28 मई, 2010 से कृषि विभाग में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थायी रूप से लागू किया गया है।

2– इस व्यवस्था में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 जो कि उत्तराखण्ड प्रदेश में अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के उपरान्त प्रभावी हैं, के विभिन्न शाखाओं को समाप्त कर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, वर्ग–2, वर्ग–3 (सांख्यिकी एवं अभियन्त्रण को छोड़ते हुए) में पदों का पुनर्गठन कर कृषि विकास शाखा तथा रसायन एवं शोध शाखा गठित की गयी है।

3– इसी कम में समूह 'ख' सेवा श्रेणी–2 के विभिन्न शाखाओं के पदों को सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत पुनर्गठन/समायोजन किया जाना विभाग की आवश्यकता बन गयी है। जिससे अधीनस्थ सेवा में लागू किए गए सिंगल विण्डो सिस्टम का अधिकतम लाभ विभाग को प्राप्त होगा तथा विभाग के कार्यों में एकरूपता आएगी। वर्तमान में कृषि विभाग में समूह 'ख' सेवा (श्रेणी–2) के स्वीकृत पदों के सापेक्ष समूह 'क' सेवा (श्रेणी–1) में पदोन्नति हेतु आनुपातिक रूप से शाखावार निम्न पद स्वीकृत हैं :–

क्र0 सं0	अनुभाग/शाखा	श्रेणी–2 के स्वीकृत पद	1:4 के अनुसार श्रेणी–1 में पदोन्नति हेतु पद
1	विकास शाखा	30	7
2	पौध संरक्षण शाखा	14	3
3	अभियन्त्रण शाखा	14	4
4	रसायन शाखा एवं वनस्पति शाखा	4+1=5	1
	योग–	63	15
5	विपणन	1	1
6	सांख्यिकी	4	2
	कुल योग–	68	18

4– उपरोक्त तालिका के अनुसार क्र0सं0 1 से 4 तक के श्रेणी–2 के कार्मिकों की पदोन्नति श्रेणी–1 के मुख्य कृषि अधिकारी/उप निदेशक पद पर होती है। जनपद पर इस पद का नाम मुख्य कृषि अधिकारी एवं निदेशालय पर उप निदेशक रखा गया है। इनके एक समान कार्य हैं। इस पद को किसी विशिष्ट शाखा से सम्बन्धित कार्य न कर पद के अधीन आने वाले समस्त कार्य करने होते हैं। इन पदों की कुल संख्या–15 हैं। उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग की अधिसूचना संख्या–956/कृषि–1(41)2002, दिनांक 02 अगस्त,2003 के माध्यम से विभागीय पुनर्गठन में विशिष्ट शाखा के उप निदेशक पद सृजित नहीं है, जिस कारण प्रदेश में नियमावली की उक्त आनुपातिक व्यवस्था की व्यवहारिकता प्रतीत नहीं होती।

5– कृषि सेवा श्रेणी–2 के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं यथा विकास, पौध संरक्षण, अभियंत्रण, रसायन एवं वनस्पति, विपणन तथा सांख्यिकी शाखा के कुल 68 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में विपणन के 01 एवं सांख्यिकी शाखा के 04 पदों, कुल 05 पदों को छोड़ते हुए शेष 63 पदों को उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना सं0–956/कृषि–1(41)/2002, दिनांक 02 अगस्त, 2003 तथा अधिसूचना संख्या–481/XIII-1/2010-3(08)/2006 देहरादून 28 मई, 2010 के आलोक में कृषि सेवा श्रेणी–2 की विभिन्न शाखाओं (विकास, पौध संरक्षण, अभियंत्रण, रसायन एवं वनस्पति शाखा) को आमेलित करते हुए कृषि विकास शाखा के रुप में गठित किया जाता है। कृषि सेवा श्रेणी–1 में पदोन्नति हेतु पूर्व में प्रचलित शाखावार आनुपातिक प्रतिनिधित्व को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

6– उत्तराखण्ड समूह 'क' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 एवं उत्तराखण्ड समूह 'ख' सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 के प्राविधानों के अनुसार ही विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती/पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

7– कृषि सेवा समूह 'ख' में आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती तथा चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति से भरे गये पदों की एक ही ज्येष्ठता सूची बनेगी। कृषि सेवा श्रेणी–2 (कृषि विकास शाखा) एकल पोषक संवर्ग रहेगा, जिसमें ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

आर मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

18 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 259/XX–3/2021–08(4)/2021–उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार शाखा के अधीन अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के रिक्त पद हेतु उत्तराखण्ड लोक आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक के उपरान्त आयोग के पत्र संख्याः 90/88/04 डी0पी0सी0(पु0अ0)/सेवा–1/2021–2022, दिनांक 27–09–2021 द्वारा प्राप्त संस्तुति के दृष्टिगत श्री उमेश चन्द्र जोशी, अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) वेतनमान रू0 15600–39100 (ग्रेड पे–7600) लेवल–12 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उक्त अधिकारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) सेवा नियमावली, 2020 के नियम–3(1) में निर्धारित 15 दिवस के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त अधिकारी नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

2– उक्त पद पर नवीन तैनाती पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अतर सिंह,
अपर सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–1

विज्ञप्ति

28 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 655/XXX-1-21-15(04)2008–श्री प्रशान्त कुमार आर्य, पी0सी0एस0, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के दिनांक रहित अनुरोध पत्र तथा शासनादेश संख्या–3497/III–500(5)–46, दिनांक 06.11.1946 में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में श्री प्रशान्त कुमार आर्य के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद, जनपद–नैनीताल के स्थान पर जनपद–अल्मोड़ा परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/506–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2020

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020

(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 28 नवम्बर 2020 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

संख्या एफ–9(31)/आर.जी./यूईआरसी/2020/814– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं धारा 50 के साथ पठित धारा 43, धारा 45, धारा 46, धारा 47 एवं धारा 57 व विद्युत (कठिनाईयों का दूर करना) आदेश, 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

विनियमों की संरचना

(1) **अध्याय 1: सामान्य**

यह अध्याय इन विनियमों के विस्तार एवं प्रयोज्यता, प्रारंभ एवं व्याख्या के विवरण प्रदान करता है तथा इन विनियमों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को परिभाषित करता है।

(2) **अध्याय 2: आपूर्ति का वर्गीकरण**

यह अध्याय सामान्य परिस्थितियों में प्रत्यावर्ती धारा (ए.सी.) आपूर्ति के घोषित वोल्टेज तथा भार की विभिन्न श्रेणी का विवरण प्रदान करता है।

(3) **अध्याय 3: नये संयोजनों को जारी करना**

यह अध्याय एक आवेदक को नए संयोजन के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नए अस्थायी संयोजन, एल.टी. संयोजन तथा एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन को जारी करने के लिए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को दर्ज करना, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रारंभिक निरीक्षण, आवेदक से शुल्क जमा कराना, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन पर कार्यवाही, एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एसपीबीएस), विकासकर्ता/बिल्डर द्वारा बनाए जाने वाले सामुहिक भवनों हेतु विद्युत संयोजन तथा आवेदक द्वारा आवेदन वापस लेना।

(4) **अध्याय 4: विद्यमान संयोजन**

यह अध्याय विद्युत के एक उपभोक्ता के अनुबन्धित भार को बढ़ाने तथा घटाने की प्रक्रिया तथा विद्युत के उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का आंकलन, संयोजन का अन्तरण जैसे कानूनी वारिस या श्रेणी में परिवर्तन या स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण नाम में परिवर्तन के मामलों से संबंधित प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

(5) **अध्याय 5: मीटरिंग व बिलिंग**

यह अध्याय मीटरों की स्थापना, मीटरों की रीडिंग, मीटरों का परीक्षण, मीटर में रिकॉर्डिंग न होने की दशा में किए जाने वाले उपाय, मीटर जलने, मीटर चोरी होने, बिल जारी करने की सामान्य शर्तें, बिल विवरण, अस्थायी बिलिंग, अतिरिक्त भार/मांग दंड, उपभोक्ता बिलों पर शिकायत, बिलों में दर्शित पिछला अवशेष/गलत तरीके से जारी किये गए बिल, कब्जा/परिसर के रिक्त होने की स्थिति में अंतिम बिल के लिए अनुरोध, उपभोक्ता द्वारा स्व–मूल्यांकन पर भुगतान तथा प्रत्याशित बिलों के अग्रिम भुगतान की सामान्य शर्तें प्रदान करता है।

(6) **अध्याय 6: विच्छेदन व पुर्नसंयोजन**

यह अध्याय उन शर्तों, जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन को विच्छेदित किया जा सकता है तथा उसी का पुर्नसंयोजन तथा संयोजन के विच्छेदन/पुर्नसंयोजन में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं, को निर्दिष्ट करता है।

(7) **अध्याय 7: विद्युत की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग**

यह अध्याय विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) तथा विद्युत की चोरी के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इस अध्याय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया, उपभोक्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत सुनवाई, विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) तथा विद्युत की चोरी को रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाए जाने वाले उपाय भी सम्मलित है ।

(8) **अध्याय 8: व्यावृत्ति**

यह अध्याय आयोग को आयोग के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने तथा यदि इन विनियमों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

(9) **प्रपत्र/अनुलग्नक**

अध्याय 1: सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रयोज्यता, प्रारम्भ व निर्वचन

(1) इन विनियमों को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सभी वितरण व खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों जिनमें, माने गये अनुज्ञप्तिधारियों व उत्तराखण्ड राज्य में इसके सभी उपभोक्ता सम्मिलित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत छूट प्राप्त अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

(3) विद्यमान उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, उविनिआ (नये एचटी व ईएचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 तथा उविनिआ (नये एलटी सयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2013 एवं इनके संशोधनों के स्थान पर ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(4) इन विनियमों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006, के0वि0प्रा0 (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर इस संबंध में संशोधित अन्य कोई प्रासंगिक के0वि0प्रा0 विनियम प्रावधानों के साथ सपठित प्रावधानों से भिन्न न रहते हुये, के अनुसार व्याख्यायित एवं लागू किया जाएगा।

1.2 परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(a) **"अधिनियम"** का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(b) **"अनुबन्ध"** का तात्पर्य अपने व्याकरणिक भेदों एवं सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता द्वारा किया गया क़रार, से है;

(c) **"उपकरण"** का तात्पर्य विद्युत उपकरण जिसमें सभी यंत्रों सहित, फिटिंग्स, सहायक उपकरण तथा विद्युत वितरण प्रणाली से संयोजित उपकरण शामिल हैं, से है;

(d) **"आवेदक"** का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम, नियमों, विनियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करता है, से है, जैसे कि .

(i) अस्थायी सयोजन सहित विद्युत आपूर्ति;

(ii) स्वीकृत भार या अनुबंध की मांग में वृद्धि या कमी;

(iii) श्रेणी में परिवर्तन;

(iv) संयोजन से संबंधित विवरणों का परिवर्तन;

(v) आपूर्ति का विच्छेदन या पुनः संयोजन;

(vi) समझौते की समाप्ति या अन्य सेवाओं हेतु, आदि,

(e) **"आवेदन"** उपयुक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रपत्र को संदर्भित करता है जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान एवं अन्य अनुपालनों को दिखाने वाले अभिलेखों के साथ अपेक्षित है;

(f) **"आवेदन प्रपत्र"** उपयुक्त प्रारूप में विधिवत भरे हुए एक आवेदन प्रपत्र को संदर्भित करता है जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक शुल्क के भुगतान को छोड़कर अभिलेखों एवं अन्य अनुपालन के साथ अपेक्षित है,

(g) **"आपूर्ति क्षेत्र"** का तात्पर्य वह क्षेत्र जिसमें विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु अपने अनुज्ञप्ति–पत्र द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत किया गया है, से है;

(h) **"निर्धारण अधिकारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 126 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारण अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी से है;

(i) **"प्राधिकृत अधिकारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी से है,

(j) **"औसत पावर फैक्टर"** का तात्पर्य अवधि के दौरान आपूर्ति किये गये केडब्ल्यूएच व केवीएएच (किलो वोल्ट एम्पियर आवर) के अनुपात से है;

(k) **"बैंक दर"** का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष की पहली अप्रैल को अधिसूचित प्रचलित दर से है;

(l) **"बिलिंग चक्र"** या **"बिलिंग अवधि"** का तात्पर्य आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि, जिसके लिए नियमित रूप से विद्युत बिलों को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया जाना है, से है,

(m) **"बिल योग्य मांग"** का तात्पर्य आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए ट्रैरिफ आदेशों में अनुमोदित मांग से है;

(n) **"सी.ई.ए."** का तात्पर्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से है;

(o) **"सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम"** का तात्पर्य के0वि0प्रा0 (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों से है,

(p) **"आयोग"** का तात्पर्य उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से है,

(q) **"संयोजित भार"** का तात्पर्य अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से संयोजित व उचित रूप से लगाए हुए तार से ऊर्जा उपभोग करने वाले सभी उपकरणों की विनिर्माता की रेटिंग का योग जिसमें उपभोक्ता के परिसर में वहनीय उपकरण सम्मिलित हैं, से है। किन्तु इसमें स्पेयर प्लग्स का भार सॉकेट, अग्निशमन के उद्देश्य से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं है। पानी या कमरा गर्म करने या कमरा ठण्डा करने में से जिसका भार अधिक है वही हिसाब में लिया जाएगा।

संयोजित भार, केवल प्रत्यक्ष चोरी या ऊर्जा के बेईमानी से निकालने या ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग के मामले में निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।

(r) **"निरंतर प्रक्रिया उद्योगों"** का तात्पर्य प्रक्रिया के सतत् स्वभाव के कारण निरन्तर आपूर्ति की आवश्यकता वाले उद्योगों, जैसे शीशा, वस्त्र, कागज उद्योग, आदि, से है;

(s) **"अनुबन्धित भार"** का तात्पर्य के.डब्ल्यू./एचपी/केवीए (किलोवाट/हार्स पावर/किलो वोल्ट एम्पियर) में भार, जिसे शासकीय शर्तों व निबंधनों के अधीन समय–समय पर आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत है तथा सामान्यतः संयोजित भार से अलग है, से है;

(t) **"मांग प्रभार"** का तात्पर्य केवीए या केडब्ल्यू में बिल योग्य मांग पर आधारित बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि हेतु प्रभारित राशि से है;

(u) **"विकासकर्ता"** का तात्पर्य एक व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकरण, जो आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग हेतु किसी क्षेत्र का विकास करता है तथा इसमें विकास

अभिकरण (जैसे कि एमडीडीए इत्यादि) कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियां, संगठन इत्यादि सम्मिलित है, से है;

(v) **"वितरण प्रणाली"** का तात्पर्य तारों व सहायक सुविधाओं की वह प्रणाली जिसका उपयोग, उपभोक्ताओं की संस्थापना से संयोजन के बिन्दुओं तथा उत्पादक स्टेशन संयोजन या पारेषण लाईनों पर प्रेषण बिन्दुओं के मध्य विद्युत के वितरण/आपूर्ति हेतु किया जाता है, से है।

वितरण प्रणाली में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति के क्षेत्र, विद्युत लाईन, सब–स्टेशन एवं इलेक्ट्रिकल प्लांट शामिल होंगे, जिन्हें मुख्य रूप से विद्युत वितरण के उद्देश्य से, जिसमें ऐसी लाईन, सब–स्टेशन या इलेक्ट्रिकल प्लांट हाई प्रेशर केबल या ओवरहेड लाईन हैं या इस तरह के उच्च दबाव केबल या ओवरहेड लाईनों के साथ जुड़े हैं, बनाए रखा जाता है, या संयोग से दूसरों हेतु विद्युत संचारित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है;

(w) **"अर्थिंग प्रणाली"** प्रासंगिक बीआईएस. एवं के.वि.प्रा (सुरक्षा व इलेक्ट्रिक आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर इसमें किये गये संशोधन के अनुसार होगी।

(x) **"विद्युत निरीक्षक"** का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उप–धारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;

(y) **"ऊर्जा प्रभार"** का तात्पर्य किसी बिलिंग चक्र में, के.डब्ल्यू.एच./के.वी.ए एच (किलो वाट आवर/ किलो वोल्ट एम्पियर आवर) यथास्थिति में उपभोक्ता द्वारा वास्तव में उपभोग की गयी ऊर्जा हेतु प्रभार से है। मांग/स्थिर प्रभार, जहां लागू हों, ऊर्जा प्रभारों से अतिरिक्त होंगे;

(z) **"एक्स्ट्रा हाई टेन्शन (ईएचटी)"** का तात्पर्य अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज से है;

(aa) **"विद्युतिकृत क्षेत्र"** का तात्पर्य नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों व नगर निकायों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित गाँवों के अधीन आने वाले क्षेत्र से है,

(bb) **"स्थिर प्रभार"** का तात्पर्य अनुबन्धित भार पर आधारित बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि हेतु प्रभारित राशि से है;

(cc) **"मंच"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 42(5) व उसके अधीन आयोग द्वारा बनाए गये विनियमों के अधीन स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच से है,

(dd) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है;

(ee) **"हाई टेन्शन (एचटी)"** का तात्पर्य अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट्स से अधिक व 33,000 वोल्ट्स तक वोल्टेज से है,

(ff) **"अनुज्ञप्तिधारी"** का तात्पर्य अधिनियम के भाग IV के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र प्राप्त किसी भी व्यक्ति से है;

(gg) **"लोड फैक्टर"** का तात्पर्य, इन विनियमों के उद्देश्य हेतु, एक दी गई अवधि के दौरान उपभोग की गई यूनिट्स की कुल संख्या (केवीएएच या केडब्ल्यूएच में जो भी लागू हो) एवं यूनिट्स की कुल संख्या जिसका इस अवधि में उपभोग किया गया होता यदि उक्त अवधि में पूरे समय संयोजित भार (केवीए या केडब्ल्यू में जो भी लागू हो) बनाए रखा गया होता, से है तथा इसे सामान्यतः निम्नलिखित प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा:

$$\text{लोड फैक्टर (प्रतिशत)} = \frac{\text{एक दी गई अवधि में उपभोग की गई वास्तविक यूनिट्स (केडब्ल्यूएच/केवीएएच में)}}{\text{अनुबन्धित भार (किवा या केवीए में) x अवधि में कुल घंटे}} \times 100$$

(hh) **"लो टेन्शन (एलटी)"** का तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अन्तर्गत किन्हीं दो फेजेज के मध्य 400 वोल्ट या फेज व न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट की वोल्टेज से है,

(ii) **"अधिकतम मांग"** केडब्ल्यू या केवीए में अधिकतम मांग, जैसा भी प्रकरण हो, का तात्पर्य अविच्छिन्न 30/15 मिनट (स्थापित मीटर के प्रकार के आधार पर) की अवधि में औसत केडब्ल्यू अथवा केवीए में आपूर्ति किये गये अधिकतम उपयोग से होगा, जहां ऐसे मीटर जिनमें केडब्ल्यू या केवीए में सीधे अधिकतम मांग पढ़ने के फीचर्स दिये गये हों।

(jj) **"मीटर"** का तात्पर्य विद्युत के संप्रेषण, अधिकतम मांग, किसी अन्य मापदण्ड या विद्युतीय प्रणाली से संबंधित कोई अन्य जानकारी को मापने, इंगित करने एवं रिकॉर्ड करने हेतु उपयुक्त उपकरण से है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है या आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है तथा जहां कहीं भी लागू हो, अन्य उपकरण जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी), वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) सदृश उद्देश्य हेतु आवश्यक होगा एव जिसमें नेट मीटर सम्मिलित होगा;

स्पष्टीकरणः इसमें किसी भी सील या सीलिंग व्यवस्था व अन्य उपायों/विशेषताओं को सम्मिलित किया जाएगा, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विश्वसनीयता हासिल करने एवं विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग को रोकने हेतु प्रदान किए जाते हैं।

जहां "नेट मीटर" का तात्पर्य विद्युत आयात एवं निर्यात दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम एक उपयुक्त मीटर या विद्युत के शुद्ध आयात एवं शुद्ध निर्यात, जैसा भी मामला हो, की रिकॉर्डिंग हेतु पृथक–पृथक मीटर के एक जोड़े से है;

(kk) **"कब्जाधारी"** का तात्पर्य उस परिसर के कब्जाधारी व्यक्ति या स्वामी जहां ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, से है,

(ll) **"बकाया देय"** का तात्पर्य विच्छेदन के समय उक्त परिसर पर देय सभी बकाया राशि व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अधीन विलम्ब भुगतान सहित अधिभार से है,

(mm) **"व्यक्ति"** में किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों का समूह या संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति सम्मिलित होगें;

(nn) **"परिसर"** का तात्पर्य इन विनियमों के उद्देश्य हेतु भूमि, भवन या अवसंरचना या इसके भाग या मेल जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक मीटर या मीटरिंग की व्यवस्था की गई है, से है; कृषि सयोजन के मामले में, परिसर का तात्पर्य पानी के स्रोत का स्थान, जिसके संबंध में संयोजन प्रदान किया गया है या विद्युत आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए जाने के इरादे से है;

(oo) **"ग्रामीण क्षेत्र"** का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों से है;

(pp) **"सर्विस लाईन"** का तात्पर्य एक विद्युत आपूर्ति लाईन, जिसके माध्यम से वितरण मेन के उसी बिंदु से एकल उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की जाती है या की जानी प्रस्तावित है, से है;

(qq) **"टैरिफ आदेश"** का तात्पर्य आयोग द्वारा समय–समय पर अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता व टैरिफ पर जारी आदेश से है;

(rr) **"अस्थाई संयोजन/आपूर्ति"** का तात्पर्य व्यक्ति को उसकी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक अस्थायी प्रकृति की विद्युत आपूर्ति से है, जैसे कि:

(i) आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक परिसरों के निर्माण हेतु, जिसमें जल निकासी हेतु पम्प शामिल हैं;

(ii) त्योहारों/पारिवारिक समारोहों के दौरान प्रकाश व्यवस्था हेतु;

(iii) पी.टी. डब्ल्यू. सयोजन को छोड़कर थ्रेशर या अन्य ऐसी मशीनरी हेतु;

(iv) घुमन्तु सिनेमाघरों/थिएटरों/सर्कस/फेयर/प्रदर्शनियों/मेलों/सभाओं हेतु;

(ss) **"चोरी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 135 के तहत परिभाषित विद्युत चोरी से है,

(tt) **"यूपीसीएल."** का तात्पर्य उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाई/संस्थाएँ, जिन्हें आयोग द्वारा वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस सौंपा गया है, से है,

(uu) **"शहरी क्षेत्र"** किसी भी नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद या टाऊन एरिया या नोटिफाईड शहरी क्षेत्र या किसी अन्य नगर निकायकी सीमाओं के भीतर का क्षेत्र है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द व अभिव्यक्तियां जो यहाँ उपयोग हुए हैं तथा यहां परिभाषित नहीं किये गए हैं, किन्तु अधिनियम/ नियमों/टैरिफ आदेश में परिभाषित किये गए हैं, उनका वही अभिप्राय होगा जो कि अधिनियम/विद्युत नियमों/टैरिफ आदेश में दिया गया है या इसकी अनुपस्थिति में वह अभिप्राय होगा जो कि विद्युत आपूर्ति उद्योग में सामान्यतः समझा जाता है।

अध्याय 2: आपूर्ति का वर्गीकरण

2.1 आपूर्ति प्रणाली

(1) सामान्य परिस्थितियों में प्रतिशत विचलन की सीमा के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा (एसी) की घोषित आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड एवं एसी आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्न प्रकार होगी:

(a) लो टेन्शन (एलटी) –

सिंगल फेजः फेज एवं न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट्स

थ्री फेजः फेजेज के बीच 400 वोल्ट्स

(b) हाई टेन्शन (एचटी) – थ्री फेजः फेजेज के बीच 11 केवी तथा उससे ऊपर एवं 33 केवी तक

(c) अतिरिक्त हाई टेन्शन (ईएचटी) – थ्री फेजः फेजेज के बीच 33 केवी से ऊपर

(2) अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के साथ मेल करते हुए वितरण प्रणाली को डिजाइन, स्थापित, अनुरक्षित तथा संचालित करेगा।

(3) आपूर्ति बिंदु पर वोल्टेज पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से विनियमित वोल्टेज की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा तथा उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी घोषित वोल्टेज के संदर्भ में, उपभोक्ता हेतु आपूर्ति प्रारंभ के बिंदु पर, निम्न विनिर्दिष्ट नियत सीमा के साथ वोल्टेज बनाए रखेगा:

(a) लो टेन्शन के मामले में, ± 6%; या

(b) हाई टेन्शन के मामले में, + 6% से – 9%; या

(c) अतिरिक्त हाई टेन्शन के मामले में, + 10% से – 12.5%

(4) एसी आपूर्ति की निर्धारित वोल्टेज निम्नलिखित तालिका 2.1 के अनुसार होगी:

तालिका 2.1: अनुबन्धित भार/मांग तथा वोल्टेज के आधार पर आपूर्ति का वर्गीकरण

क्रम सं०	श्रेणी विवरण	आपूर्ति प्रणाली
(i)	4 किवा तक अनुबंधित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	230 वोल्ट– सिंगल फेज
(ii)	4 किलोवाट से ऊपर एवं 25 किवा तक के अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	400 वोल्ट – थ्री फेज
(iii)	25 किवा से ऊपर तथा 75 किवा/88 केवीए तक अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	400 वोल्ट पर उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस) के माध्यम से (एल.टी. पक्ष पर मीटरिंग)

चूंकि साप्ताहिक गजट के खण्ड भाग–1क में पेज संख्या अधिक होने के कारण पेंज संख्या 815 से 934 तक अपलोड नहीं है।

अनुलग्नक – XI
(संदर्भ विनियम 7.1)

विद्युत चोरी तथा अनधिकृत उपयोग के विषय में निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि		क्रम संख्या / (पुस्तिका संख्या)	
उपभोक्ता का नाम		खण्ड	
		मंडल / क्षेत्र	
उपयोगकर्ता का नाम		एस.सी. सं०	
पता		पुस्तक सं०	
		भार विवरण	
		अनुबन्धित भार	
		बिलिंग मांग	
		कुल संयोजित भार	
		श्रेणी / टैरिफ कोड	

अनियमितता का प्रकार

☐ अनधिकृत उपयोग ☐ संदिग्ध चोरी

☐ चोरी

मीटर विवरण	सील व केबल की स्थिति	
मीटर क्रमांक _____ मीटर मेक _____	सी.टी. बॉक्स सील सं० _____	पाया गया _____
मीटर क्रमांक (पेन्टेड/चिह्नित) _____	मीटर बॉक्स सील सं०	पाया गया _____
रीडिंग केडब्ल्यूएच _____	मीटर टर्मिनल सील सं० ____	पाया गया _____

रीडिंग केवीएएच ________	हॉफ सील सं० ________	पाया गया ________ ________ ________
रीडिंग केवीएआरएच ________		
एमडीआई ________		
पावर फैक्टर ________		
आकार ________	परीक्षण उपकरण परिणाम	
प्रकार ________	मीटर का कार्यचालन ________	पाया गया ________
सीटी अनुपात ________	केबल स्थिति ________	पाया गया ________

शंट कैपेसिटर □ ______ की संख्या व ______ रेटिंग व ______ मेक की शंट कैपेसिटर को ________ पावर फैक्टर को बनाए रखने हेतु कार्यचालन क्रम में स्थापित पाया गया है / □ कोई शंट कैपेसिटर स्थापित नहीं पाया गया है। ________ विलंबन के साथ ऊर्जा घटक मापा गया है।

संयोजित भार विवरण
प्रतिष्ठान प्रकार: ________ कार्य के घंटे ______ कार्य की परिस्थिति ________ (कारखाने / दुकान का विशिष्ट प्रकार) सील का विवरण

निरीक्षण दल द्वारा अन्य ऑब्जर्वेशनः	
उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर	हस्ताक्षर _____ _____ _____ _____ नाम _____ _____ _____ _____ पदनाम _____ _____ _____ _____

अनुलग्नक – XII
(संदर्भ विनियमन 7.1)

चोरी /लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन

चोरी / लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच x एफ

जहाँ "एल" का अर्थ भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो) से है, जहाँ किलोवाट में क़े.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए में जहां के.वी.ए.एच. दर लागू होती है।

'डी' प्रति माह कार्य दिवसों की संख्या है, जिसके दौरान चोरी /लघुचोरी का संदेह है तथा नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	निरंतर उद्योग	30 दिन
(बी)	अनिरंतर उद्योग	25 दिन
(सी)	घरेलू उपयोग	30 दिन
(डी)	कृषि	30 दिन
(ई)	अघरेलू (निरंतर) अर्थात अस्पताल, होटल एवं रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप	30 दिन
(एफ)	अघरेलू (सामान्य) यानी (ई) के अलावा अन्य	25 दिन

'एच' प्रति दिन आपूर्ति घंटे का उपयोग है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	एकल पारी उद्योग (दिन / रात केवल)	10 घण्टे
(बी)	अनिरंतर उद्योग (दिन और रात)	20 घण्टे
(सी)	निरंतर उद्योग	24 घण्टे
(डी)	अघरेलू	20 घण्टे
(ई)	घरेलू	8 घण्टे
(एफ)	कृषि	10 घण्टे

'एफ' लोड फैक्टर है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	औद्योगिक	60%
(बी)	अघरेलू	60%
(सी)	घरेलू	40%
(डी)	कृषि	100%
(ई)	प्रत्यक्ष चोरी	100%

घरेलू पानी पंप, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन तथा लघु घरेलू उपकरणों के संचालन हेतु वास्तविक घरेलू उपयोग के मामलों में मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु कार्य के घंटे को 100% लोड फैक्टर पर प्रति दिन एक घंटे से अधिक कार्य करने हेतु नहीं माना जाएगा।

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा का आंकलन

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा की लघुचोरी हेतु मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच, जहॉ

एल = भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो), जहॉ किलोवाट में के.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए. में जहां केवीएएच दर लागू होती है।

डी = दिनों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति का उपयोग किया जाता है.

एच = 12 घण्टे

संक्षिप्ति

इस कोड में निम्नलिखित संक्षिप्ति का उपयोग किया गया है लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है;

क्रम सं०	संक्षिप्ति	विवरण
1	वी	वोल्ट
2	ए	एम्पियर
3	डब्ल्यू	वाट
4	कै.वी.	किलो वोल्ट
5	के.ए.	किलो एम्पियर
6	के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट घंटा
7	के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पीयर
8	सी.टी.	करेंट ट्रांसफॉर्मर
9	पी.टी.	संभाव्य ट्रांसफार्मर
10	के.वी.ए.एच	किलो वोल्ट एम्पीयर घंटा
11	के. डब्ल्यू.	किलो वाट
12	के.वी.ए.आर.	किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव

आयोग के आदेश द्वारा,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/506–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपनी पुत्री का नाम खुशी अरूण प्रताप सिंह से बदलकर खुशी सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को खुशी सिंह पुत्री श्री अरूण प्रताप सिंह के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरूण प्रताप सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह
निवासी राजविहार कालोनी–दुर्गा मंदिर
रुड़की, जिला हरिद्वार।

सूचना

मैंने अपने पुत्र का नाम वैभव अरूण प्रताप सिंह से बदलकर वैभव सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को वैभव सिंह पुत्र श्री अरूण प्रताप सिंह के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अरूण प्रताप सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह
निवासी राजविहार कालोनी–दुर्गा मंदिर
रुड़की, जिला हरिद्वार।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 51 हिन्दी गजट/506–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।